उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग , शक्ति भवन , लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1060–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 24–60–पी / 98(टी0सी0–1), दिनांक : 22 मई, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

एतद्द्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या : 1 / 2024 / आई / 473752 / 2024–फा0नं0–10–22099 / 1537 / 2020, दिनांक : 16 जनवरी, 2024, जिसके द्वारा दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है, को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1060–पें0एवंआर0–28 / पाकालि / 24 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल / मध्यांचल / दक्षिणांचल / पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी / लखनऊ / आगरा / मेरठ / केस्को–कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I / स्तर–II), उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0।
11. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को 28 मार्च, 2024 को सम्पन्न 200वीं बैठक के मद संख्या–200(11) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

21.3.24

(राज कुमार रस्तोगी)
अपर सचिव (तृतीय)

संख्या-1/2024/आई/473752/2024-फा0नं0-10-22099/1537/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2.समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 16 जनवरी, 2024

विषय:- दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पेंशन का राशिकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों जिन्हें पेंशन अनुमन्य है, की मूल पेंशन के अधिकतम 40 प्रतिशत भाग को राशिकृत कराये जाने का प्रावधान है। न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत है।

2- केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर गठित केन्द्रीय वेतन आयोगों की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत वेतन/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा भी वेतन/पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में आदेश निर्गत किए गये हैं।

3- वेतन/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी आदेश प्राय: उनके प्रभावी होने की तिथि के कुछ माह उपरान्त ही निर्गत हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में, इस मध्यवर्ती अन्तराल में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पूर्व में स्वीकृत पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश कुछ अन्तराल के बाद ही निर्गत हो पाते हैं। इन परिस्थितियों में पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप राशिकृत पेंशन की धनराशि में भी संशोधन हो जाता है। शासन से इस संबंध में मार्गदर्शन का अनुरोध किया जा रहा है कि वर्णित परिस्थितियों में पुनरीक्षित राशिकृत पेंशन की धनराशि मूल्य का समायोजन पूर्ववर्ती तिथि से किया जाएगा अथवा राशिकृत मूल्य के अन्तर की धनराशि के भुगतान की तिथि से।

4- इस संबंध में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/15/2022 पी-डब्लू/3 दिनांक 25 अक्टूबर,2022 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/15/2022पी-पीडब्लू(डी)/4 दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 में की गई व्यवस्था के अनुसरण में यह स्पष्ट किया जाता है कि:-

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1). ऐसा सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसने अपनी अंतिम पेंशन का कोई भाग राशिकृत कराया है और राशिकरण के पश्चात उसकी पेंशन पूर्वगामी प्रभाव से पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ गई है, को बढ़ी हुई पेंशन के प्रति राशिकृत मूल्य और पूर्व में अधिकृत राशिकृत मूल्य के बीच के अन्तर का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु पेंशनर से नए सिरे से आवेदन करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी परन्तु यदि कोई पेंशनर बढ़ी हुई पेंशन के सापेक्ष अतिरिक्त रूप से राशिकृत पेंशन का राशिकरण नहीं करना चाहता है तो उसे इसका विकल्प उपलब्ध रहेगा तथा उसके द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से आवेदन करना होगा।

(2). दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व स्वीकृत पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा और यह अनुपात परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) जैसा प्रस्तर 4(1) में स्पष्ट किया गया है, पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर राशिकरण के भुगतान हेतु पेंशनर से नये सिरे से आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी मूल आवेदन के आधार पर पुनरीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार पत्र निर्गत करेंगे सिवाय उन मामलों के जिनमें पेंशनर द्वारा पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर राशिकरण न किये जाने हेतु आवेदन किया गया हो।

(ख) पुनरीक्षित पेंशन के आधार पर राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

(ग) उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी अर्थात इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होंगी अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण की भुगतान की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी।

उपरोक्त के संबंध में निर्गत पूर्ववर्ती आदेश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

5- यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से लागू होंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिलिपि:-

1.निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, लखनऊ।

2.निबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

3.समस्त मण्डलीय अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

4.समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

5.समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6.समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।